Drinking water scheme in Uttar Pradesh

1870. SHRI ZAINUL BASHER:
SHRI RAM AWADH:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) how many villages in Uttar Pradesh have been covered by the Drinking Water Scheme;

(b) how many villages have not yet been covered by the Drinking water Scheme;

(c) whether it is the policy of Government to provide drinking water to every village through this scheme; and

(d) if so, the details thereof and time upto which this facility will be provided?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) 7001 problem villages, have been provided water supply upto 31st March, 1980.

(b) 28,505 problem villages, are yet to be provided drinking water supply as on 1-4-1980.

(c) and (d). High priority has been accorded to provide safe drinking water to all the problem villages in the country during the Sixth Plan period (1980—85).

गुजरात में कृषि ऋणों की माफी

1871. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने कृषि ऋणों की वसूली को माफ करने की योजना केन्द्र सरकार को उसकी सहमति के लिये दे दी है और यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है : और

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार कृषि और कृषकों को इस भार से छुटकारा दिलाने के लिये कोई अन्य कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारत सरकार को गुजरात सरकार से कृषि ऋणों की वसूली माफ करने से संबंधित कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) भारत सरकार ने ऋण से राहत देने के लिये राज्य सरकारों को पहले ही मार्गदर्शी सिद्धांत परिचारित कर दिये थे तथा गुजरात सरकार ने अपेक्षित विधान बना दिया है । प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियों में वसूली स्थगित करने के लिये संस्थागत ऋणों को पुनः निर्धारित करने अथवा उनके स्वरुप में परिवर्तन करने की व्यवस्था विद्यमान है ।

प्राकृतिक आपदाओं के पुनः प्रकोप होने पर विशेष परिस्थितियों में गरीब किसानों के ऋणों को बट्टे खाते में डालने का भी प्रावधान है । भारत सरकार ऐसे किसी उपाय के पक्ष में नहीं है जिससे संस्थागत ऋणों को अंधाधुंध तरीके से बट्टे-खाते में डाला जा सके क्योंकि इससे ऋणों की वसूली का वातावरण दूषित करने, जानबूझ कर अदायगी न करने और ऋण देने वाली संस्थाओं की आत्मक्षमता को नष्ट करने की प्रवृत्ति को बल मिलता है ।

Legislation for Bringing Education in Central List

1872. SHRI K. K. TEWARI: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether in order to introduce uniformity in the pattern of education and for maintaining its secular